



स्मिथसोनियन मैगजीन की 20 वीं वार्षिक फोटो प्रतिस्पर्धा के नतीजे घोषित हो गए हैं। प्रतिस्पर्धा में 190 देशों के 7000 फोटोग्राफर्स की 32,690 प्रतिस्पर्धा शामिल की गई। फाइनल लिस्ट में चुनी गई यहां प्रस्तुत तस्वीर काजीरंगा नेशनल पार्क की है। फोटोग्राफर प्रबीर कुमार दास ने कहा, "लग रहा था जैसे जुरासिक पार्क का कोई दृश्य है, जिसमें टायरानसॉरस की जगह राइनो दौड़ रहे हैं।" प्रबीर कुमार अपने झाड़वर के साथ एक वाहन में काजीरंगा नेशनल पार्क में फोटोग्राफी करने के लिए गए थे। उन्होंने बताया, "बड़ी स्पीड में एक दूसरे का पीछा करते दो राइनो मेरे कैमरा के फ्रेम में नजर आए। वो दोनों बहुत खतरनाक तरीके से हमारी कार की तरफ आ रहे थे। झाड़वर ने आत्म रक्षा के लिए कार को तुरंत रिवर्स किया। लेकिन तब तक मैंने कई खूबसूरत शॉट ले लिए।" प्रबीर कुमार पेशे से कैमिस्ट्री टीचर हैं और फोटोग्राफी उनका प्रिय शौक है जो अब उनका जूनून बन गया है, खासतौर पर वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी और काजीरंगा नेशनल पार्क उन्हें बेहद प्रिय है।

हाई कोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को गैर कानूनी घोषित करने से इंकार किया

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि, याचिकाएं पढ़ कर यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि, डॉक्टर "प्रोटैस्ट" क्यों कर रहे हैं

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 31 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सकों की हड़ताल के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वे डॉक्टरों के मुद्दे को सुनने से पहले उनकी हड़ताल को गैर कानूनी करार देने जैसा कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायाधीश अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता पी.सी.जैन और प्रमोद सिंह द्वारा दायर दो पृथक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि महाधिवक्ता अगली तारीख तक डॉक्टरों के संगठन और राज्य सरकार तथा उसके मंत्रियों के बीच हुई बातचीत का पूर्ण लिखित ब्यौरा अदालत के समक्ष रखें। अदालत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राजस्थान इकाई को

■ सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को कहा कि, कुछ ही लोग इस "प्रोटैस्ट" को उकसा रहे हैं और उन्होंने कुछ सरकारी डॉक्टरों को भी भड़काया है। उन्होंने आगे कहा कि, सरकार ने डॉक्टरों से बातचीत करके ही "राइट-टू-हेल्थ" बिल को विधानसभा में पेश किया था।

■ इस पर न्यायालय ने यहां महाधिवक्ता को कहा कि, वे अदालत के समक्ष डॉक्टरों और सरकार के बीच हुई बातचीत का विस्तृत ब्यौरा पेश करें।

■ अदालत ने "इंडियन मेडिकल एसोसिएशन" को भी डॉक्टरों का पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा है।

डॉक्टरों का पक्ष रखने के लिये इस मामले में नोटिस जारी किया। इसके साथ ही इस मामले की अगली तारीख 11 अप्रैल तय की है।

सुनवाई की शुरुआत में अदालत ने यह हरानी जताई कि अधिवक्ताओं ने

करें बल्कि अदालतों को उनका काम करने में मदद करें, "इस नजरिये से वकीलों की हड़ताल वैध कैसे हो सकती है?" अदालत ने एक अधिवक्ता को यह तक कहा कि वह अपना काला कोट उतारें क्योंकि वह निजी तौर पर जनहित याचिका कर रहे हैं, वकील के तौर पर नहीं।

मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पी.सी.जैन ने कहा कि तमिलनाडु में भी सरकारी डॉक्टर जब हड़ताल पर उतरे थे तब न्यायालय ने आदेश दिये थे कि सरकार और डॉक्टर मिलकर समाधान खोजें और तब तक हड़ताल को लंबित रखें। अधिवक्ता पी.सी.जैन ने कहा कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है इसलिए अदालत को इस हड़ताल को रोकना होगा। यहां उल्लेखनीय है कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है!
कान की मशीनें
स्पीच थेरेपी
फ्री सुनाई की जाँच
CALL FOR APPOINTMENT
+91 94602 07080
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
www.perfecthearingsolutions.com

इस बार फिर रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसक घटनाएँ व तोड़-फोड़ हुई कोलकाता में

इन घटनाओं के दौरान मु.मंत्री ममता बनर्जी रैड रोड पर केन्द्र के पक्षपात पूर्ण रवैये के खिलाफ धरने पर बैठी थीं

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 31 मार्च। बंगाल में रामनवमी महोत्सव के दौरान ममता बनर्जी और बंगाल भाजपा के बीच भारी हिंसा हुई। कई जगहों पर रामनवमी शोभा यात्रा में हिंदू व मुसलमानों के बीच दंगा हुआ।

ममता का गुस्सा सीधे तौर पर सुभेन्दु अधिकारी पर था। तृणमूल से भाजपा में गए इस तेज तर्रार नेता ने ममता बनर्जी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है और पार्टी के कई नेताओं पर भारी धन हड़पने के आरोप लगाए हैं।

रामनवमी पर जब प्रदेश भर हिंसा का तांडव चल रहा था तब मुख्यमंत्री केन्द्र पर भेदभाव का आरोप लगाकर रैड रोड पर धरना दे रही थीं। बंगाल में इन दिनों अकर्मण्यता छाई हुई है। मुख्यमंत्री के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर जनता में भारी नाराजगी है। गत विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से सीधे मुकामले में सुभेन्दु अधिकारी

■ बंगाल में, केन्द्रीय सरकार के बंगाल के साथ सौतेले बर्ताव के विरोध में धरने-प्रदर्शन करने की पुरानी परम्परा है।

■ पहले साम्यवादी पार्टियाँ व वामपंथी मोर्चा ये आयोजन करते थे और अब तृणमूल कांग्रेस ने यह जिम्मेवारी संभाल ली है।

■ तृणमूल पार्टी के इन धरने-प्रदर्शन का मुख्य टारगेट सुवेन्दु अधिकारी हैं। ममता बनर्जी का आरोप है, हिंसा से पूर्व अधिकारी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी।

■ अमित शाह ने राज्यपाल को फोन करके रामनवमी पर हुई हिंसक व तोड़-फोड़ की घटनाओं की जानकारी मांगी। चर्चा है, राज्यपाल दो-तीन दिन में दंगाग्रस्त क्षेत्र का मुआयना करने निकलेंगे।

ने ममता बनर्जी को हरा दिया था। भाजपा और तृणमूल दोनों ने रामनवमी की शोभा यात्रा में हिंसक तांडव कर रहे अराजक तत्वों के

वीडियो जारी किए हैं। तृणमूल ने हथियार लिए लोग दिखाए शोभा यात्रा जब मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंची तो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'बम ब्लास्ट मामले में हाई कोर्ट में सरकार ने प्रभावी पैरवी नहीं की'

जयपुर, 31 मार्च (का.सं.)। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी ने मीडिया से संबोधित करते हुए कहा कि जयपुर बम ब्लास्ट के मामले में हाईकोर्ट में सरकार ने प्रभावी पैरवी नहीं की, जबकि कांग्रेस

■ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी ने मीडिया को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि, इस केस में तो सरकार द्वारा नियुक्त अतिरिक्त महाअधिवक्ता ने कई दिनों तक पैरवी नहीं की, सवाल उठता है कि, उन्होंने किसके कहने पर ऐसा किया।

सरकार में संकट में आती है तो अपने को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े-बड़े वकील खड़े करती है। इस केस में तो सरकार द्वारा नियुक्त अतिरिक्त महाअधिवक्ता ने कई दिनों तक पैरवी नहीं की, सवाल उठता है ऐसा उन्होंने किसके कहने पर किया। सी.पी. जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा व कांग्रेस में स्पर्धा है कौन कुमारास्वामी के नजदीक पहुंचेगा

जद (एस) के नेता कुमारास्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों पार्टियाँ अपने एजेन्ड भेज रहीं हैं उनके पास

-लक्ष्मण वैकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 31 मार्च। कर्नाटक में मई को राज्य विधानसभा के चुनावों के लिए मतदान होना है। चुनाव में दो प्रमुख दावेदार हैं, सत्तारूढ़ भाजपा और उसे चुनौती दे रही कांग्रेस और दोनों ही जनता दल (सैकुलर) और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को रिझाने में लगे हैं। कर्नाटक की राजनीति पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौडा के पुत्र एच.डी. कुमारस्वामी का इतना ज्यादा महत्व है। अकेले दम पर तो यह पार्टी कर्नाटक विधानसभा की 224 में 40 सीटें भी नहीं जीत सकती है पर अभी भी उनमें इतना दम है कि 25 से 40 सीटें जीतकर किंग मेकर तो बन ही सकती है। यह है कुमारास्वामी की ताकत, जिसने 2018 के आम चुनावों में भाजपा, सरकार बनाने का अवसर छीन लिया था। उस समय कांग्रेस ने जल्दी कदम उठाया और कुमारास्वामी को गठबंधन सरकार बनाने के लिए समर्थन दे दिया हालांकि भाजपा के अपरेशन "लोटस" की वजह से यह सरकार 14 माह में ही गिर गई।

■ यहां यह उल्लेखनीय है कि, कुमारास्वामी दोनों पार्टियों के साथ अलग-अलग समय हाथ मिलाकर सरकार बना चुके हैं कर्नाटक में, 2006 में भाजपा के साथ तथा 2018 में कांग्रेस के साथ।

■ इस बार भी उनको दोनों पार्टियाँ लुभाने में लगी हुई हैं। क्योंकि सर्वे के अनुसार दोनों पार्टियाँ चुनाव के बाद पर्याप्त विधायक जिता कर नहीं ला पायेंगी, अपने दम पर सरकार बनाने के लिये। अतः कुमारास्वामी अपने 25 से 40 विधायकों के जोर पर एक बार फिर "किंगमेकर" बनने की स्थिति में हैं।

इस बार भी कुमारास्वामी आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं कि वे किंग मेकर के रूप में उभरेंगे। लेकिन वे सिर्फ किंग मेकर नहीं बल्कि खुद किंग बनना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारास्वामी ने दावा किया है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जद (एस) के सम्पर्क में हैं, हालांकि भाजपा व कांग्रेस दोनों ने ही इस दावे का जोरदार खंडन किया है।

लोकन एक बात छुपाई जा रही है कि कांग्रेस के आन्तरिक सर्वे से संकेत मिला है कि इसे बहुमत से कम सीटें मिलेंगी और पार्टी को सरकार बनाने के लिए कुमारास्वामी की जरूरत पड़ेगी। भाजपा की भी सीटें कम रहेगी और कुमारास्वामी दोनों से हाथ मिलाने को तैयार है। कुमारास्वामी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से दिनों दिन बढ़ रही है। दोनों दलों के बीच जद (एस) का भरसा जीतने की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'प्र.मंत्री का अकैडमिक रिकॉर्ड आर.टी.आई. में नहीं बताया जा सकता'

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 31 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री का ब्यौरा देने के लिए गुजरात युनिवर्सिटी को दिए गए आदेश को गुजरात हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और अपने आदेश को न्यायोचित ठहराते हुए

■ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने आर.टी.आई. के तहत प्र.मंत्री मोदी की डिग्री का ब्यौरा मांगा था, जिसे ना केवल गुजरात हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया, उल्टे केजरीवाल पर 25,000 रु. का जुर्माना भी लगा दिया।

कहा कि इस सूचना को कोई आवश्यकता नहीं है, यही नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगा दिया तथा कहा कि वे चार सप्ताह के भीतर गुजरात स्टेट लीगल सर्विस अधीनस्थों में यह राशि जमा करवाएं। आदेश और जुर्माने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सख्त मल (कब्ज) व पेट की परेशानियों का आयुर्वेदिक उपचार
जगृवी
www.jagraviherbal.com

अमेरिका में ट्रम्प व भारत में राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पायेंगे?

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 31 मार्च। यह निःसंदेह शासन के लोकतांत्रिक प्रारूप का एक टैस्ट है। अब अमेरिका और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर सारी दुनिया की नजर है। क्योंकि इन देशों में प्रमुख राजनीतिक विपक्षियों पर अभियोग चल रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प पर उनके वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान एक एडल्ट स्टार को अपना मुंह बंद रखने को लेकर धन देने का आरोप बनाया गया है और राहुल गांधी के खिलाफ "मोदी" सरनेम के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी को लेकर एक आपराधिक मानहानि केस में दोषी ठहराया गया। उन्हें अब लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराया जा चुका है। वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनाव

प्रचार के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प पर न्यूयॉर्क की एक ग्रेण्ड जुरी ने एक एडल्ट स्टार को अपने मुंह बंद रखने के लिए धन देने को लेकर अभियोग चलाया था। ट्रम्प आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति थे। ग्रेण्ड जुरी ट्रम्प द्वारा दो महिलाओं को दिए गए धन की जांच कर रही थी। इन दोनों महिलाओं ने दावा किया था कि ट्रम्प ने उनके साथ वर्ष 2016 में जब ट्रम्प राष्ट्रपति चुने गए थे, यौन संबंध बनाए थे। उसके बाद ही उनके द्वारा किए गए भुगतान के तथ्य सार्वजनिक हुए थे और जब ट्रम्प वाइट हाउस में सत्ता संभाले हुए थे, तब शपथ सहित दिए गए बयानों में और तथ्य सामने आए। पूर्व राष्ट्रपति ने इन आरोपों के लिए कहा कि "यह राजनीतिक उत्पीड़न है और इतिहास में सर्वोच्च स्तर का चुनावी हस्तक्षेप है।" ट्रम्प ने धमकी दी

■ अमेरिका में ट्रम्प पर दो "सैक्स वकर्स" को चुप रहने के लिए पैसा देने का आरोप है, यह आरोप सिद्ध हो जाता है तो ट्रम्प राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से वंचित किये जा सकते हैं।

■ राहुल गांधी को मानहानि करने का दोषी होने पर चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है।

■ इन दोनों नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकना या ना रोकना, प्रजातंत्र के लिए "एडिस्ट टैस्ट" है।

है कि इस केस में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया तो धरंकर मोत और तबाही होगी। यू.एस.ए. टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यह भी कहा है कि उन पर अभियोग चलाए जाए, तब भी वह वर्ष 2024 में राष्ट्रपति पद की अपनी उम्मीदवारी का त्याग नहीं करेंगे। ट्रम्प की अर्दोंन सुसन नैकेलस

और जोसेफ टैकोपीना ने पुष्टि की कि "राष्ट्रपति ट्रम्प के खिलाफ अभियोग लगाया गया है, उन्होंने आगे कहा कि "उन्होंने आगे कहा कि "उन्होंने कोई अपराध नहीं किया।" इन अर्दोंनन ने एक संक्षिप्त लिखित बयान में कहा कि "हम इस राजनीतिक उत्पीड़न के विरुद्ध अदालत में जोर शोर से लड़ेंगे।" ट्रम्प ने मैनेटउन के जिला अर्दोंन एल्विन ब्रैग की भी यह कहते हुए

इतिहास में सर्वोच्च स्तर के चुनावी हस्तक्षेप पर प्रहार करते हुए ट्रम्प ने एक भारी भरकर बयान जारी किया। ट्रम्प ने आक्षेप जतार एक पोस्ट में यह दावा भी किया कि जून 2015, जब से उन्होंने स्वयं के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की घोषणा की थी, डेमोक्रेट्स व अन्य तभी से उन्हें फंसाने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2016 में रूस के चुनावी हस्तक्षेप और राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान दो महाभियोगों सहित पुरानी कई शृंखलाबद्ध जांचों का हवाला दिया। ट्रम्प ने दावे से कहा कि "अब उन्होंने एक बिल्कुल ही निर्दोष व्यक्ति पर चुनावी हस्तक्षेप के आरोप में अभियोग चलाकर एक अकल्पनीय कार्य किया है। हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं किया गया।" ट्रम्प ने मैनेटउन के जिला अर्दोंन एल्विन ब्रैग की भी यह कहते हुए

भर्त्सना की कि वह बिना किसी साक्ष्य के राष्ट्रपति जो बाइडन का धिनीना काम कर रहे हैं। ट्रम्प ने यह भी कहा कि इस अभियोगन का बाइडन और डेमोक्रेट्स पर ही उल्टा असर होगा और वह स्वयं किसी भी सूरत में वर्ष 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीतेंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेन्स ने कहा कि इस अभियोगन में एक राजनीतिक उत्पीड़न की वृ आती है। पेन्स ने सी.एन.एन. चैनल पर वुल्फ ब्लिट्ज़र को बताया कि "मैं समझता हूँ कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ इलैक्शन कैम्पेन मुद्दे पर अभूतपूर्व अभियोगन एक अपमान है और अमेरिका के लाखों लोगों को ऐसा लगता है कि यह एक राजनीतिक उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं है।" सीनेट के मैजोरिटी लीडर चक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरें बढ़ीं

नई दिल्ली, 31 मार्च (वार्ता)। सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि खाता योजना, किसान विकास पत्र और मासिक आय खाता स्कीम जैसी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें में

■ सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर में 0.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। एक वर्ष की एफ.डी. पर ब्याज को 6.6 से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया गया है।

0.70 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है जबकि जन भविष्य निधि स्कीम की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आधिकारिक परिपत्र के अनुसार एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)